

प्रपत्र-2

परियोजना का नाम:—तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं०-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर—दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं०-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
संलग्न है।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

रु० 5817.44 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

परियोजना हेतु चयनित भूमि पर ही उक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

—
निर्माण/रखरखाव हेतु स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

संलग्न है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

शून्य

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

—

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न

दिनांक—

स्थान—

नाम एवं हस्ताक्षर

मोहर

Aly CASHOK KUMAR)

अधिकांश अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

प्रस्ताव की कम संख्याहल्द्वानी (नं० ताल)

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)